न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–**31/2022**

प्रसंगः–**गोपाल कुमार चन्द्रवंशी** – बनाम – **राज्य**

आदेश

26/07/2023

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक–615/विधि दिनांक–13/05/2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक श्री गोपाल कुमार चन्द्रवंशी, पिता स्व0 द्वारिका राम, जाति कहार, निवासी बड़कीबागी, पोस्ट– को थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् मौजा–कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–111, प्लॉट नं0–3845, रकवा –06 डी0, भूमि श्रीमति सुशीला देवी पति लटु राम, जाति कहार, निवासी निवासी बड़कीबागी, पोस्ट– को थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा से खरिदने हेतु अनुमति का माँग किया है।

C.C.I 653 / 3/8/23

अचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक–886 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन विहित् प्रपत्र में प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि मौजा– कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–111, प्लॉट नं0–3845, रकवा –06 डी0, उक्त भूमि पंजी II में विक्रता के नाम से जामाबंदी दर्ज है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के हैं एवं एक ही ग्राम के हैं तथा एक ही थाना एवं एक ही जिला के निवासी हैं प्रतिवेदित किया गया है, साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दिया जा सकता है, का मंतव्य दिया गया है।

विक्रेता एवं क्रेता अपने–अपने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता श्रीमति सुशीला देवी पति लटु राम, का अंचल अधिकारी, कोडरमा, द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–JHCC/2016/38960 दिनांक–18.03.2016 के अनुसार जाति के कहार है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHRC/2016/434997 दिनांक–03.03. 2016 के अनुसार श्रीमति सुशीला देवी पति लटु राम, निवासी बड़कीबागी, पोस्ट– को थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा के निवासी है। क्रेता श्री गोपाल कुमार चन्द्रवंशी, पिता स्व0 द्वारिका राम, जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCC/2016/120545 दिनांक–11.04.2016 जो अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत है के अनुसार क्रेता जाति के कहार है। अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHRC/2016/132886 दिनांक–1104.2016 के अनुसार क्रेता श्री गोपाल कुमार चन्द्रवंशी, पिता स्व0 द्वारिका राम, जाति कहार, निवासी बड़कीबागी, पोस्ट– को थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा के निवासी है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति, एक ही ग्राम एवं एक ही, जिला के निवासी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (i)(b) 2nd provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा– कोडरमा, थाना

नं0—333, खाता नं0—111, प्लॉट नं0—3845, रकवा —06 डी0, भूमि श्री गोपाल कुमार चन्द्रवंशी, पिता स्व0 द्वारिका राम, जाति कहार, निवासी बड़कीबागी, पोस्ट— को थाना—कोडरमा, जिला—कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक—2620/गो0 दिनांक—29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से अच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2024.05.27 17:23:00 +05:30
Location: 192.168.29.40